छेड़छाड़ के आरोपित व्याख्याता को भुगतनी पड़ेगी पांच साल की सजा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः हाई स्कूल के व्याख्याता ने वर्ष 2022 में अपने ही स्कूल की अनुसूचित जाति वर्ग की 13 वर्ष की छात्रा से छेड़छाड़ कर उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई थी। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी व्याख्याता को पांच वर्ष कैद और दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई थी। ट्रायल कोर्ट के आदेश पर आरोपित व्याख्याता सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है। सजा के खिलाफ आरोपित ने हाई कोर्ट में अपील की। सिंगल बेंच ने व्याख्याता की अपील को खारिज कर सजा बरकरार रखने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई जस्टिस संजय की अग्रवाल के सिंगल बेंच में हुई।

मुंगेली जिले के निवासी अमित सिंह ने याचिका प्रस्तुत की थी। अमित सिंह शासकीय व्याख्याता के पद पर कार्यरत था। 25 अगस्त 2022 को स्कूल की ही अनुसूचित जाति वर्ग की 13 वर्षीय छात्रा की मां ने थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने छेड़छाड़ की धारा 354, यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 10 और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार

13 वर्षीय छात्रा की मां ने थाने में दर्ज कराई थी रिपोर्ट

कोर्ट ने सुनाई थी पांच साल की सजा

● प्रतीकात्मक चित्र

निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(1) के तहत अपराध दर्ज कर चालान प्रस्तुत किया था। उसके अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया था कि घटना तिथि 25 अगस्त 2022 को वह आकस्मिक अवकाश में था। स्कूल की उपस्थिति रजिस्ट्री की प्रति सूचना के अधिकार के तहत शिक्षक ने प्राप्त की थी। ट्रायल कोर्ट ने इसे विधिवत रूप से प्राप्त नहीं करने और सिर्फ प्राचार्य का हस्ताक्षर होने से इसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया था। एफआइआर तिथि और घटना तिथि के अलावा भी व्याख्याता ने छेड़छाड़ की थी। इसके आधार पर ट्रायल कोर्ट ने 5 वर्ष कारावास व दो हजारजुर्माने की सजा सुनाई थी।